



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2014/माघ 22, 1935

No. 60]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2014/MAGHA 22, 1935

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 83 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये नियम 09-50 किलो हर्टज़ आवृत्ति बैंड में लागू होंगे।

3. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) प्राधिकारी से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके आनुक्रमिक रूप से उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

4. 09 - 50 किलो हर्टज़ आवृत्ति बैंड में रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों जिसके अंतर्गत अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों या उपस्कर भी हैं का उपयोग – नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अधिकतम विकिरण शक्ति या सामर्थ्य सीमाओं के साथ, अहस्तक्षेप, असंरक्षित और साझा (गैर विशेष) आधार पर, 09 - 50 किलो हर्टज़ के आवृत्ति बैंड में समेकित, समर्पित या बाह्य एंटेना (बाह्य एंटेना के मामले में केवल पाशचिक्रित कुंडली एंटेना लगाया जा सकेगा), रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों जिसके अंतर्गत अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति की युक्तियों या उपस्करों भी हैं के उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी बेतार

उपस्कर को स्थापित करने, अनुसूचित करने, कार्य करने, रखने या किसी बेतार उपस्करों से व्यवहार करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :-

सारणी

निम्नलिखित आवृत्ति बैंड का उपयोग करने के लिए प्रेरणिक अनुप्रयोगों की तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम विकिरण शक्ति या क्षेत्र तीव्रता सीमा
(1)	(2)
09 - 50 किलो हर्टज	72 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 123.5 डिसबिल माइक्रो एम्पियर वोल्ट प्रति 10 मीटर

परंतु यह कि जब कभी केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति आवश्यक हो तो इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

शर्तें - इस नियम के अधीन अनुदत्त छूटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी, अर्थात् :-

(1) अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन विकिरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी आकर्षण, अपनिर्वचन या सूचनाओं की हानि से प्रकट ऐसी अवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति में उद्घरण किया जा सकेगा, जहां कोई व्यक्ति, जिसे भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और भारतीय बेतार तार यंत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है, प्राधिकारी को यह सूचित करता है कि उसकी अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रणाली को इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से हानिकर व्यतिक्रम प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा प्राधिकारी उपस्कर का स्थान परिवर्तन करके, उसकी शक्ति को कम करके, विशेष प्रकार के एंटेना के उपयोग द्वारा व्यतिक्रम से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त बेतार उपस्कर के उपयोक्ता को अवसर देगा, जिसमें असफल रहने पर ऐसे प्राधिकारी ऐसे बेतार के उपयोग को रोकने की सिफारिश करेंगे :

परंतु यह कि ऐसे रोके जाने से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी द्वारा बेतार उपस्कर के ऐसे गैर-अनुज्ञप्ति प्राप्त उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) उपस्कर - ये अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर अथवा रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां उपस्कर के किस्म के रूप में ऐसी शीति से अनुमोदित और अभिकल्पित तथा संनिर्मित होंगे जो तकनीकी प्राचल नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप हों :

परंतु यह कि उपस्कर के किस्म का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उपाबंध में दिए गए आवेदन के प्ररूप में आवेदन किया जाएगा ।

[सं0 आर -11020/05/2013-पीपी]

एल.एफ. हुमणे, सहायक बेतार सलाहकार,

उपाबंध

उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन

भाग-क- आवेदक

1. उपस्कर प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले विनिर्माता अभिकरण का नाम
2. विनिर्माता का डाक पता
3. प्रकार अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले भारतीय अभिकरण का नाम और पता
4. उत्पाद का नाम और उत्पाद पहचान (मॉडल सं. आदि)

भाग-ख-पारेषक का वर्णन

1. आवृत्ति रेंज
2. प्रीसेट स्विचेबल चैनलों की सं.

3. वॉयस/डाटा/टीवी चैनलों की सं. (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
4. टीएक्स-आरएक्स चैनल पृथक्करण (डुप्लैक्स/मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
5. समीपवर्ती चैनल पृथक्करण (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
6. आवृत्ति स्थायित्व
7. कूट/सन्नादी विकरण
 - i. कैरियर सप्रेसन
(कैरियर सप्रेसड तंत्र की दशा में)
 - ii. आवांछित साइड बैंड सप्रेसन (एसएसबी तंत्र की दशा में)
 - iii. द्वितीय सन्नादी विकरण
 - iv. तृतीय सन्नादी विकरण
8. अधिकतम आवृत्ति विचलन
9. उत्सर्जन की रीति
10. उत्सर्जन की बैंडविड्थ
11. परीक्षणटोन टोन विचालन
12. आधार बैंड आवृत्ति (मल्टीचैनल उपस्कर की दशा में)
13. अपेक्षित मॉड्यूलेशन का प्रकार
14. पूर्व जोर
15. विद्युत आउटपुट
(एंटेना के इनपुट पर)
16. कोई अन्य जानकारी

भाग-ग- प्रापकों के विवरण

1. आवृत्ति रेंज
2. प्राप्ति की रीति
3. प्राप्ति की कूट प्रतिक्रिया
4. संवेदनशीलता
5. आवृत्ति स्थायित्व
6. (क) प्रभावी ध्वनी तापमान
(ख) अवसीमा इनपुट स्तर
7. मध्यवर्ती आवृत्ति
8. जोर मुक्ति
9. चयनशीलता
10. कोई अन्य विशिष्टियां

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

(टिप्पण: प्रत्येक प्रकार के उपस्कर के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Wireless Planning and Coordination Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2014

G.S.R. 83 (E). —In exercise of the powers conferred by sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall be applicable in the 09-50 KHz frequency band.

3. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) Authority means authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(b) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts.

4. Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, in the 09 to 50 KHz frequency band.— No license shall be required by any person to establish, maintain, work, possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices, or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, in the 09 to 50 KHz frequency band with Integral, Dedicated or External antenna (In case of external antenna, only loop coil antenna may be employed), on non-interference, non-protection and shared (non exclusive) basis, with the maximum Radiated power or Field Strength Limits as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Technical characteristics of inductive applications using the following frequency band

Frequency Band	Maximum Radiated Power or Field Strength Limits
(1)	(2)
09 to 50 KHz	72dB μ A/m or 123.5dB μ V/m at 10 metres

Provided that wherever specific service licence is required from the Central Government, the provisions of this rule shall not apply.

Conditions. - The exemptions granted under this rule shall be subject to following conditions, namely:-

(1) The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a license has been issued under the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885); and section 4 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933) informs the authority that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, then such authority shall call upon the user of such unlicensed wireless equipment to take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae failing which such authorities shall recommend discontinuation of such wireless use :

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be given to such unlicensed user of wireless equipment by such authority.

(2) Equipment.—These very low power Radio Frequency wireless devices or equipments or Radio Frequency Identification devices shall be of Equipment type approved and designed and constructed in such a manner so that the technical parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4:

Provided that the application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in the application format given in Annexure.

[No.R-11020/05/2013-PP]

L.F.HUMNEY, Assistant Wireless Adviser

Annexure

APPLICATION FOR EQUIPMENT TYPE APPROVAL

Section-A-applicant

1. Name of manufacturing agency applying for equipment type approval :
2. Postal address of manufacturing agency :
3. Name of product and the product identification (model number etc..) :

Section-B-Details of Transmitter

1. Frequency range :
2. No. of preset switchable channels :
3. No. of voice / Data/ TV Channels (In case of multi- channel equipment) :
4. Tx-Rx channel separation (In case of Duplex/multi-channel equipment) :
5. Adjacent channel separation (In case of multi-channel equipment) :
6. Frequency stability :
7. Spurious / Harmonic radiations :
 - i. Carrier suppression :
(In case of carrier suppressed systems)
 - ii. Unwanted side band suppression :
(In case of SSB systems)
 - iii. 2nd Harmonic radiations :
 - iv. 3rd Harmonic radiations :
8. Max. Frequency Deviation :
9. Mode of Emission :
10. Bandwidth of Emission :
11. Test Tone Deviation :
12. Base band frequency (In case of multi channel equipment) :
13. Type of modulation to be required :
14. Pre-emphasis :

15. Power out-put :
(At the input of antenna)

16. Any other information :

Section-C- Details of Receivers

1. Frequency range :

2. Mode of reception :

3. Spurious response of receiver :

4. Sensitivity :

5. Frequency stability :

6. (a) Effective noise temperature :

(b) Threshold input level :

7. Intermediate frequency :

8. De-emphasis :

9. Selectivity :

10. Any other particulars :

Signature of applicant

Place :

Date :

(Note : Separate application should be submitted for each type of equipment)